

**आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची,**  
**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।**  
**माह- दिसम्बर, 2016 तक।**

क्र० सं०	निगरानी थाना काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	संबंधित विभाग	अभियुक्तों का नाम एवं पदनाम
1	निगरानी थाना कांड सं०-05/15, दिनांक-10.03.15, धारा-13(2) सह पठित धारा-13(1) (ई) भ०नि० अधि०-1988	<b><u>डी० ए० केस</u></b> जाँच सं० पी०ई०-06/06 के जाँचोपरान्त आय से अधिक धनार्जन के आरोप में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, राँची का पत्रांक-नि०वि०/सहकारिता-07/2006-398, दिनांक-04.03.15 के आदेश के आलोक में दर्ज किया गया है।	श्री परमानन्द प्रसाद, प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी, जिला- गोडडा, वर्तमान निलंबित, वर्तमान पता- जयप्रकाश नगर, गली नं०-2, हीरापूर, था० जिला-धनबाद। <b>पुनः अंतिम प्रतिवेदन सं०-82/16 दिनांक-09.12.16 तथ्य की भूल समर्पित।</b>
2	भ०नि० ब्यूरो हजारीबाग थाना कांड सं०-12/16, दि०-17.10.16, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) भ०नि० अधि०-1988	<b><u>झारखंड पुलिस हाँउसिंग कॉरपोरेशन।</u></b> ट्रैप केस। 9,000/-	राम नरेश राम, पिता-गनौरी राम, सा०-सेनरी पो०-पाटन, जिला-पलामू वर्तमान कनीय अभियंता, झारखंड पुलिस हाँउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, हजारीबाग प्रमंडल, हजारीबाग। <b>आरोप पत्र सं०-11/16 दिनांक-13.12.16</b>
3	भ०नि० ब्यूरो हजारीबाग थाना कांड सं०-14/16, दिनांक-19.10.16, धारा-07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी०) भ०नि० अधि०-1988	<b><u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।</u></b> ट्रैप केस। 6,000/-	बासुदेव प्रसाद, पिता-स्व० खुशी महतो, सा०-सरौनी काला, थाना-मुफ्फसील, जिला-हजारीबाग, वर्तमान अंचल अमीन माण्डू जो हल्का नं०-06 अंचल माण्डू के कर्मचारी के प्रभार में, जिला-रामगढ़। <b>आरोप पत्र सं०-12/16 दिनांक-16.12.16</b>
4	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हजारीबाग थाना कांड सं०-15/16, दिनांक-25.10.16, धारा-7/13(2) भ०नि० अधि०-1988	<b><u>माप तौल विभाग।</u></b> ट्रैप केस। 3,500/-	1. अब्दुल खालीद (उम्र-54 वर्ष) पिता-स्व० अब्दुल हमीद, सा०-नयासराय, पो०-मुंडमा, थाना-नगड़ी, जिला-राँची, सम्प्रति अनुसेवक, सहायक कृषि निदेशक सह उप-नियंत्रक माप-तौल कार्यालय, हजारीबाग। 2. सुरेन्द्र कुमार (उम्र-58 वर्ष) पिता-स्व० रामचरित्र सिंह, सा०-चन्दुपुर, पो०-मानकीपुर, थाना-धनरूआ, जिला-पटना (बिहार)। सम्प्रति तकनीकी सहायक, सहायक कृषि निदेशक सह उप-नियंत्रक माप-तौल कार्यालय, हजारीबाग। <b>दोनों अभियुक्तों पर आरोप पत्र सं०-13/16 दिनांक-17.12.16</b>
5	निगरानी थाना कांड सं०-34/16, दिनांक-25.04.16, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी०) भ०नि० अधि०-1988	<b><u>राजस्व विभाग।</u></b> ट्रैप केस। 5,000/- <b>(राशि बरामद नहीं)</b>	प्राथमिकी अभियुक्त गोपाल पासवान, लिपिक, जिला-भू-अर्जन कार्यालय, हजारीबाग। <b>अंतिम प्रतिवेदन सं०-83/16 दिनांक-19.12.16 साक्ष्य की कमी।</b>

6	अ0नि0 ब्यूरो हजारीबाग थाना कांड सं0- 13/16, दि0-18.10.16, धारा-07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी0) अ0नि0 अधि0-1988	<b>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।</b>  ट्रैप केस। 4,500/-	अरविन्द कुमार दांगी, पिता-पोखन दांगी, सा0-बकचुम्बा, थाना-राजपूर, जिला-चतरा। सम्प्रति रोजगार सेवक, कुन्दो प्रखंड, जिला-चतरा। <b>आरोप पत्र सं0-10/16 दिनांक-07.12.16</b>
7	अ0नि0 ब्यूरो धनबाद थाना कांड सं0- 11/16, दि0-20.10.16, धारा-07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी0) अ0नि0 अधि0-1988	<b>खाद्य एवं आपूर्ति विभाग।</b>  ट्रैप केस। 12,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त जितेन्द्र कुमार वर्मा (उम्र 52 वर्ष), पिता-कुबेरनाथ वर्मा, मु0 कमलाबाग कॉलोनी, दुधानी, थाना-नगर, जिला-दुमका, वर्तमान प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका। <b>आरोप पत्र सं0-12/16 दिनांक-20.12.16</b>
8	निग0 था0 कां0 सं0 64/10 दि0-30.11.10, धारा-409/420/406/504/120बी/467/468/469/471/भा0द0वि0 एवं धारा 13(1) (सी) अ0नि0 अधि0 1988	<b>पथ निर्माण विभाग।</b> यह काण्ड पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	1. श्री ललन चौधरी, तत्का0 सहा0अभि0 2. श्री जयप्रकाश प्रसाद, तत्का0 क0अभि0 3. श्री सुरेश प्रसाद, तत्का0 कार्य0अभि0 जिला परिषद चतरा। <b>सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन सं0-84/16 दिनांक-20.12.16 साक्ष्य की कमी समर्पित।</b>
9	निगरानी ब्यूरो थाना कांड सं0-67/16 दिनांक-26.10.16 धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी0) अ0नि0 अधि0-1988	<b>कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।</b>  ट्रैप केस। 25,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त डॉ0 राणा प्रताप, पे0-स्व0 राजेन्द्र प्रसाद ठाकुर, सा0+थाना-अमरपुर, जिला-बाँका(बिहार), वर्तमान जिला पशुपालन पदाधिकारी, सिमडेगा। <b>आरोप पत्र सं0-85/16 दिनांक-20.12.16</b>
10	निगरानी थाना कांड सं0-20/12, दिनांक-12.09.12 धारा-409/420/201/109/120(बी)/468/469 भा0द0वि0 एवं 13(2) सह पठित धारा-13(1) (सी) (डी) अ0नि0 अधि0-1988	जालसाजी तथा आपसी मिलीभगत से कडरू, रांची स्थित हज हाउस के निर्माण कार्य में अनियमितता, प्राकलित राशि के अनुसार कार्य नहीं करने एवं सरकारी राशि का गबन कर सरकार के जनकल्याणकारी योजना को असफल बनाने के आरोप में दर्ज किया गया है	1. श्री किरण कुजूर, पिता-स्व0 सिरिल कुजूर, सा0-किरण कुंज, भुईयाटोली, शांती नगर, समलॉग, पो0+थाना-नामकुम, जिला-रांची तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, झारखंड राज्य आवास बोर्ड हरमू, रांची, 2. ब्रजकिशोर लाल, पिता-स्व0 चन्द्रदेव लाल, सा0-चन्द्र निकेतन, तिलक नगर, सेक्टर-छ/18 पो0-लोहिया नगर, थाना-पत्रकार नगर, जिला-पटना, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता (संविदा पर) झारखंड राज्य आवास बोर्ड हरमू, रांची। 3. मो0 शब्बीर अली, पिता-मो0 हाजी हुसैन अंसारी, सा0-केला बगान, पो0+थाना-मधुपूर, जिला-देवधर, तथा छोटी मस्जिद के पास पुनदाग, थाना-पुनदाग ओ0पी0, जिला-रांची, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (संविदा पर) झारखंड राज्य आवास बोर्ड हरमू, रांची। 4. मो0 कैषर खान, पिता-स्व0 क्यामुद्दीन खान, सा0-110 बी0 ब्लॉक, धतकीडीह, थाना+पो0-विष्टुपूर, जिला-जमशेदपुर, मो0 क्यामुद्दीन खान एण्ड कम्पनी धतकीडीह, जमशेदपुर के संवेदक/ पार्टनर। 5. अप्राथमिकी अभियुक्त श्री कृत्यानन्द झा, (उम्र-64 वर्ष), पिता-स्व0 जयरुद्र झा, स्थाई पता-सा0-तरौनी, थाना-बहेरा, भाया-नेहरा, जिला-दरभंगा, (बिहार) वर्तमान सा0-फ्लैट सं0-04/सी0 इन्दिरा

			<p>रिजेन्सी हरमू हाउसिंग कॉलोनी, पानी टंकी रोड़, थाना-अरगोड़ा, जिला-रांची।</p> <p>6. श्री अब्राहम रौना, (उम्र-65 वर्ष), पिता-स्व० जोहन रौना, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, हरमू, राँची, सा०-हाउस नम्बर-1103/बी० बसरटोली, वार्ड नं०-16, Y.M.C.A., Boys Hostel के नजदीक, ओल्ड एच०बी०रोड़, थाना-लोअर बाजार, जिला-रांची।</p> <p>7. श्री विकास कुमार ओड़ा, पिता-स्व० हरदेव ओड़ा, तत्कालीन कनीय अभियंता, सा० स्टाफ क्वॉटर सं०-03, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, थाना-अरगोड़ा, जिला-रांची।</p> <p><b>सभी पर आरोप पत्र सं०-86/16 दिनांक-21.12.16 समर्पित।</b></p>
11	<p>निग०था० कां० सं० 30/2000 दि०-13.11.2000 धारा 420, 423, 424,467,468,469, 471,477 ए 120 बी 109, 201, भा०द०वि० एवं धारा 13 (2) सह पठित धारा 13 (1) डी भा० नि० अधि० 1988 (विशेष केस नं०-17/2000)</p>	<p><b>राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग, भूमि घोटाला (1960-1999)</b></p>	<p>1. श्री सी०एम०पी० वर्मा, तत्का० प्र०उप समाहर्ता, भूमि सूधार, सदर, राँची।</p> <p>2. श्री एस०एन० सिन्हा, तत्का० प्र० उप समाहर्ता, भूमि सूधार, सदर, राँची।</p> <p>3. श्री यु०पी० सिंह, तत्का० अंचलाधिकारी, नामकुम, राँची।</p> <p>4. श्री बनवारी लाल गोप, तत्का० पंचायत सेवक, महिलोंग, नामकुम अंचल, राँची।</p> <p>5. श्री एन०पी०सिंह, तत्का० अंचलाधिकारी, नामकुम, राँची।</p> <p>6. श्री पुषा खेस, तत्का० हल्का कर्मचारी, मौजा महिलोंग, नामकुम अंचल, राँची।</p> <p>7. श्री डी०एन० देवधरिया, प्र० अंचल निरीक्षक, नामकुम अंचल, राँची। (मृत्यू- दिनांक-06.09.12) पिता-स्व० लम्बोदर नाथ देवधरिया।</p> <p>8. श्री विनोद कुमार लाल, तत्का० हल्का कर्मचारी, नामकुम अंचल, राँची। पिता-स्व० राम प्रसाद राम, क्वॉटर नं०-एल०आई०जी० आर/165 हरमू हाउसिंग कॉलोनी, थाना-अरगोड़ा, जिला-रांची।</p> <p>9. श्री शिव प्रसाद रमन, तत्का० अंचलाधिकारी, नामकुम, राँची। पिता-स्व० सर्वजीत राम, आकांक्षा हाउस नम्बर-150/जी० हरिहर सिंह रोड़ मोराबादी, थाना-बरियातु, जिला-रांची।</p> <p>10. श्री दिनेश कुमार, तत्का० अंचलाधिकारी, नामकुम, राँची। पिता-अषरफी बैठा, क्वॉटर नम्बर-406 विषाल अर्पाटमेन्ट राजा बाजार, थाना-षस्त्रीनगर, हवाई अड्डा, जिला-पटना (बिहार)।</p> <p>11. श्री रंजीत कुमार होम, पिता स्व० डॉ० सचिन्द्र चन्द होम, उर्फ डॉ० एस०सी० होम, सा० घुमसा टोली, थाना चुटिया, जिला राँची, सेक्रेटरी नेचर क्योर होम, ओल्ड कमिषनरर्स कम्पाउड, राँची।</p> <p>12. डॉ० एस०सी० बागची, उर्फ सुबोध चन्द बागची, पिता सिरीस चन्द बागची, वद्धमान कम्पाउड, थाना लालपुर, राँची। (मृत्यू- दिनांक-04.12.85)</p> <p>13. श्रीमति शिव कुमारी गुप्ता, पति श्री मनोहर लाल गुप्ता। सा०-लक्ष्मी निलियन, हजारीबाग रोड़ थाना-सदर/लालपुर, जिला-रांची।</p> <p>14. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, पिता श्री संतु कुमार शर्मा। सा०-53 सर्कुलर रोड़, लालपुर, जिला-रांची।</p> <p>15. श्रीमति शोभा देवी, पति श्री अरविन्द्र कुमार शर्मा। सा०-53 सर्कुलर रोड़, लालपुर, जिला-रांची।</p>

			<p>16. श्री शांति कुमार राय, सिसरिया, पिता श्री मंगतू राम सिसरिया।</p> <p>17. श्री पी०एन० वर्मा, पिता श्री वी०वी०वर्मा, निदेशक, मे० इंडियन कलर शीट्स लि०, मोराबादी मैदान (उत्तरी), बरियातू, राँची, निवासी जे०-158, पिपुल्स को-ऑपरेटिव कोलोनी, कंकड़ बाग, पटना, बिहार।</p> <p><b>क्रमांक-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17 को असत्यापित पाते हुए क्रमांक-08, 09, 10, पर आरोप पत्र सं०-87/16 दिनांक-22.12.16 समर्पित।</b></p>
12	<p>अ०नि० ब्यूरो हजारीबाग थाना कांड सं०- 11/16, दिनांक-16.10.16 धारा- 07/13(2) सह पठित धारा- 13(1)(डी०) अ०नि० अधि०-1988</p>	<p><b><u>गृह विभाग।</u></b></p> <p><b>ट्रैप केस।</b></p> <p><b>5,000/-</b></p>	<p>मदन कुमार, पिता-स्व० जयकेश्वर साहु, सा०-केरंग भंडारटोली, थाना-चैनपुर, जिला-गुमला सम्प्रति पुलिस अवर निरीक्षक रामगढ़ थाना, जिला-रामगढ़।</p> <p><b>आरोप पत्र सं०-09/16 दिनांक-07.12.16 हजारीबाग।</b></p>
13	<p>अष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद थाना कांड सं०- 13/16, दिनांक-02.11.16 धारा-7/13(2) अ०नि० अधि०-1988</p>	<p><b><u>विद्युत विभाग।</u></b></p> <p><b>ट्रैप केस।</b></p> <p><b>3,500/-</b></p>	<p>मजरूल हसन (उम्र-59 वर्ष), पिता-मो० मरहुम आजम, ग्राम-चितरपुर, थाना-रजरप्पा, जिला-रामगढ़ वर्तमान ऑपरेटर राजगंज पावर सब स्टेशन, धनबाद।</p> <p><b>आरोप पत्र सं०-13/16 दिनांक-28.12.16 धनबाद।</b></p>